



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234688  
CG-DL-E-30032022-234688

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1457]  
No. 1457]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1509(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2022 होगा।

(2) यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 में, उप-खंड (2) में मद (iii) में और 3 फरवरी, 2022 के आदेश के पैरा 3 में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभी खाद्य तेलों और तिलहन को निम्नलिखित स्टॉक सीमा के साथ 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि तक एक साथ रखा जाएगा:

आवश्यक वस्तु का नाम	खुदरा	थोक	बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (खुदरा विक्रेताओं की दुकानों की बड़ी चैन)		प्रोसेसर
			खुदरा दुकानें	डिपो	
खाद्य तेल	30 क्विंटल	500 क्विंटल	30 क्विंटल	1000 क्विंटल	भंडारण क्षमता के 90 दिन
खाद्य तिलहन	100 क्विंटल	2000 क्विंटल	--		खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अपवाद लागू होंगे:-

(क) कोई निर्यातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है, यदि ऐसा निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसका पूरा स्टॉक या उसका कुछ हिस्सा निर्यात के आशय से स्टॉक की सीमा में है।

(ख) कोई आयातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, यदि ऐसा आयातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसके स्टॉक का कुछ हिस्सा आयात से प्राप्त है।”

“3. यदि संबंधित विधिक इकाइयों द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (<https://evegoils.nic.in>) पर की जाएगी और इसे, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस नियंत्रण आदेश में निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाया जाएगा।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग अर्थात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (<https://evegoils.nic.in/eosp/login>) पर खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप से किए जाएँ।

5. दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के का.आ. 4146(अ) के स्थान पर यह आदेश अपनी जारी होने की तिथि से प्रभावी है।

[फा. सं. 06/02/2017-तेल]

पार्थ एस. दास, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद संख्या का.आ. 3341(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2016, का.आ. 1288(अ) दिनांक 25 अप्रैल, 2017, का.आ. 1600(अ) दिनांक 17 मई, 2017, का.आ. 2785(अ) दिनांक 25 अगस्त, 2017, का.आ. 3136(अ) दिनांक 27 सितंबर, 2017, का.आ. 3397(अ) दिनांक 23 अक्टूबर, 2017, का.आ. 3422(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2017, का.आ. 4079(अ) दिनांक 27 दिसंबर, 2017, का.आ. 2414(अ) दिनांक 13 जून, 2018, का.आ. 2826(अ) दिनांक 6 अगस्त, 2019, का.आ. 3540(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2019, का.आ. 4298(अ) दिनांक 28 नवंबर, 2019, का.आ. 4341(अ), दिनांक 3 दिसंबर, 2019, का.आ. 4417(अ), दिनांक 10 दिसंबर, 2019, का.आ. 4471(अ), दिनांक 16 दिसंबर, 2019, का.आ. 901(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2020, का.आ. 3776(अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020, का.आ. 2674(अ) दिनांक 2 जुलाई, 2021 और का.आ. 2871(अ) दिनांक 19 जुलाई 2021 का.आ. 4146 (अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 का.आ. 5369 (अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2021, का.आ. 5370 (अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2021, का.आ. 452 (अ) दिनांक 3 फरवरी, 2022 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**  
**(Department of Food and Public Distribution)**

**ORDER**

New Delhi, the 30th March, 2022

**S.O. 1509(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order 2016, namely :-

**1. Short Title and Commencement –**

(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2022.

(2) It shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> April, 2022.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause(2), item (iii) and para 3 of the Order dated 3<sup>rd</sup> February, 2022 shall be replaced with the following:-

“(iii) All Edible Oils and Oilseeds put together for a period upto 31<sup>st</sup> December, 2022 with following stock limit, **for all States/Union Territories.**

Name of Essential Commodity	Retail	Wholesale	Bulk consumers (Big chain retailers shops)		Processor
			Retail outlets	Depot	
Edible Oil	30 Quintals	500 Quintals	30 Quintals	1000 Quintals	90 days of storage/ production capacity
Edible Oilseeds	100 Quintals	2000 Quintals	--		90 days production of edible oils, as per daily input production capacity

Further, the following exceptions shall apply:-

(a) an exporter, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, having Importer-Exporter Code Number issued by the Director General of Foreign Trade, if such exporter is able to demonstrate that the whole or part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are meant for exports, to the extent of the stock meant for export.

(b) an importer, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, if such importer is able to demonstrate that part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are sourced from imports.”

“3. In case, the stocks held by respective legal entities are higher than the prescribed limits then they shall declare the same on the portal (<https://evegoils.nic.in/eosp/login>) of Department of Food & Public Distribution and bring it to the prescribed stock limits in this Control Order within 30 days of the issue of this notification.”

4. It shall be ensured that Edible Oils and Edible Oilseeds stock is regularly declared and updated on the portal of this Department i.e. Department of Food & Public Distribution (<https://evegoils.nic.in/eosp/login>).

5. The Order S.O.4146(E) dated 8<sup>th</sup> October, 2021 stands superseded with effect from the date of issue of this Order.

[F. No. 06/02/2017-Oils]

PARTHA S. DAS, Jt. Secy.

**Note :** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 929(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2016 and was subsequently amended vide numbers S.O. 3341(E), dated the 27<sup>th</sup> October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25<sup>th</sup> April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17<sup>th</sup> May, 2017, S.O. 2785(E) dated the 25<sup>th</sup> August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27<sup>th</sup> September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25<sup>th</sup> October, 2017, S.O. 4079(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2017 and S.O. 2414(E) dated the 13<sup>th</sup> June, 2018, S.O. 2826(E), dated the 6<sup>th</sup> August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2019, S.O. 4298(E), dated the 28<sup>th</sup> November, 2019, S.O. 4341(E), dated the 3<sup>rd</sup> December, 2019, S.O. 4417(E), dated the 10<sup>th</sup> December, 2019, S.O. 4471(E), dated the 16<sup>th</sup> December, 2019, S.O. 901(E), dated the 27<sup>th</sup> February, 2020 and S.O. 3776(E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2020, S.O.2674(E) dated 2<sup>nd</sup> July 2021 & S.O. 2871(E) dated 19<sup>th</sup> July 2021, S.O.4146(E) dated 8<sup>th</sup> October, 2021, S.O 5369(E) dated 23<sup>rd</sup> December, 2021, S.O. 5370(E) dated 23<sup>rd</sup> December, 2021, S.O. 452(E) dated 3<sup>rd</sup> February, 2022.